

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल सं० - 1, गया।

दिनांक-02.03.23

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमण्डल सं० -1, गया।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
गया।

विषय :- पथ प्रमण्डल सं०-1, गया अन्तर्गत मौजा - महुआरी, खाता सं०- 23, खेसरा सं० - 222 एवं 223, थाना सं० - 24 (महकार), जिला - गया पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा MS/HSD रिटेल आउटलेट अधिस्थापन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

- प्रसंग :- (1) मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापक - 280 दिनांक - 30.01.2023.
(2) अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, मगध पथ अंचल, गया का पत्रांक - 196 अनु० दिनांक - 10.02.2023..

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में कहना है कि पथ प्रमण्डल सं०-1, गया अन्तर्गत मौजा - महुआरी, खाता सं०-23, खेसरा सं०-222 एवं 223, थाना सं० - 24 (महकार), जिला - गया पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा MS/HSD नये रिटेल आउटलेट स्थापित करने के निमित्त पथ निर्माण विभाग की जमीन को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर उपयोग करने हेतु निम्न शर्तों के साथ पौंच वर्षों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

- (1) विभागीय पत्रांक - 4770(E) दिनांक - 24.08.2017 एवं पत्रांक - 7661(E) दिनांक - 23.12.2015 तथा विभागीय ज्ञापक - 8283(S) दिनांक - 13.9.2019 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने स्तर से भी जाँच कर ली जाए।
- (2) 05-05 वर्षों के अन्तराल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण हेतु विभागीय संकल्प सं०-1921(S) दिनांक - 08.03.2018 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (3) रिटेल आउटलेट की स्थापना मानक तथा अनुमोदित नक्शे के अनुरूप कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में ऑयल कम्पनी एवं इस विभाग को अवश्य सूचित करेंगे।

उपरोक्त शर्तों की विरुद्ध कृत कार्यवाई के लिए विभाग आवश्यक कानूनी एवं अनुशासनिक कार्यवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

- अनु०- (1) मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना का ज्ञापक - 280
दिनांक - 30.01.2023 छाया प्रति अनुमोदित नक्शा के साथ।
(2) भवदीय का पत्रांक - 1178 अनु० दिनांक - 10.07.2020

विस्थासभाजन

कार्यपालक अभियंता

पथ प्रमण्डल सं० -1, गया।

02/03/2023

02/3/23